दिल्ली विश्वविद्यालय UNIVERSITY OF DELHI

(राजभाषा प्रकोष्ठ RAJBHASHA CELL)

कमरा संख्या : 104, प्रथम तल, नया प्रशासनिक खंड, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-110007 (दूरभाष: 011-27666269, एक्स नं.: 1225)
Room No.: 104, 1st Floor, New Administrative Block, University of Delhi, Delhi-110007 (Phone: 011-27666269, Ext. No.: 1225)

संख्या : आरबीसी/(27)/2019/2373-2592

दिनांक : 05/04/2019

सेवा में,

______________________,

______________________,

______________________,

विषय : राजभाषा अधिनियम, 1963(यथा संशोधित, 1967) की धारा 3(3), राजभाषा नियम, 1967(यथा संशोधित, 1987) के नियम-5 तथा 'क' क्षेत्र से अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में देने का अनुपालन संबंधी।

महोदय/महोदया,

राजभाषा प्रकोष्ठ द्वारा जारी पत्र संख्या आरबीसी/01/2013/2620-2852 दिनांकित 12-02-2013, आरबीसी/01/2013/2925-3158 दिनांकित 22-02-2013 तथा आरबीसी/01/2013/3647-3879 दिनांकित 12-03-2013 का संदर्भ लें (प्रति संलग्न)। जिसके द्वारा भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभागों तथा उनके संबद्ध/अधिनस्थ कार्यालयों के लिए राजभाषा अधिनियम, नियम का अनुपालन करना अनिवार्य है। उपर्युक्त विषय पर उक्त परिपत्र पुन: दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी विभागों/अनुभागों/कार्यालयों/केंद्रों आदि के प्रमुखों के लिए सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।

सादर,

संलग्नक: उपर्युक्तानुसार

आनंद कु. सोनी 05-04-2019

(आनंद कुमार सोनी)
सहायक कुलसचिव (राजभाषा)

प्रति:

1. समकुलपति, निदेशक (दक्षिण परिसर) एवं अध्यक्ष, राभाकास } कृपया सुचनार्थ।
2. कुलसचिव

दिल्ली विश्वविद्यालय UNIVERSITY OF DELHI
(राजभाषा अनुभाग RAJBHASHA SECTION)
कमरा संख्या : 308, तृतीय तल, नया प्रशासनिक खंड, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-110007 (दूरभाष: 011-27666269, एक्स नं.: 1807)
Room No.:308, 3rd Floor, New Administrative Block, University of Delhi, Delhi-110007 (Phone: 011-27666269, Ext. No.: 1807)

236
53334-621
18/2

फाइल संख्या: आरबीसी/01/2013/2620-2852 दिनांक: 12-02-2013.
14

परिपत्र CIRCULAR

विषय : राजभाषा अधिनियम, 1963(यथा संशोधित, 1967) की धारा 3(3) का प्रभावी अनुपालन।

Sub : **Effective Compliance of Section 3(3) of Official Language Act, 1963 (As amended, 1967).**

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभागों तथा उनके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के लिए यह अनिवार्य है कि वे राजभाषा अधिनियम, 1963 (यथा संशोधित, 1967) की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी किए जाने वाले सभी कागज़ात द्विभाषी रूप में अर्थात् हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में साथ-साथ जारी करें :
It is obligatory for all the Ministries/Departments of Govt. of India and their attached/subordinate offices to issue all the documents under Section 3(3) of Official Languages Act, 1963(As amended, 1967) bilingually i.e. in Hindi and English simultaneously:

राजभाषा हिंदी के प्रयोग के बारे में दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों/कार्यालयों/अनुभागों से राजभाषा अनुभाग में प्राप्त होने वाली तिमाही रिपोर्टों से यह ज्ञात होता है कि विश्वविद्यालय में राजभाषा अधिनियम, 1963(यथा संशोधित, 1967) की धारा 3(3) का शतप्रतिशत अनुपालन नहीं किया जा रहा है। कुछ विभाग/कार्यालय/अनुभाग ऐसे कागज़ात केवल अंग्रेजी में जारी कर रहे हैं।
It is observed from the quarterly progress reports received in Official Language Section regarding use of Hindi in various departments/offices/sections of University of Delhi that Section 3(3) of Official Languages Act, 1963(As amended, 1967) is not cent percent complied with in this University. Some of the departments/offices/sections are issuing such documents in English only.

अधिनियम अनुपालन की यह त्रुटि गंभीर बात है। अत: यह निदेश दिया जाता है कि भविष्य में राजभाषा अधिनियम, 1963(यथा संशोधित, 1967) की धारा 3(3) का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
Non-compliance of the Act is a serious matter. It is therefore directed to ensure that the Section 3(3) of Official Languages Act, 1963(As amended, 1967) is complied with strictly.

......2/-

श्रीमती

राजभाषा अधिनियम, 1963(यथा संशोधित, 1967) की धारा 3(3) के अंतर्गत समाविष्ट दस्तावेजों की सूची संलग्न है। ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारियों/शिक्षकों का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि ये दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार किए जाते हैं, निष्पादित किए जाते हैं और जारी किए जाते हैं।

List of documents covered under Section3 (3) of Official Languages Act, 1963(As amended, 1967) is enclosed herewith. It shall be the responsibility of the Officer/Teachers signing such documents to ensure that these documents are made, executed and issued both in Hindi and in English.

भविष्य में यदि राजभाषा अधिनियम, 1963(यथा संशोधित, 1967) की धारा 3(3) का उल्लंघन पाया गया तो उसे गंभीरता से लिया जाएगा तथा संबंधित अधिकारी के विरूद्ध यथोचित कार्रवाई की जाएगी।

If non-compliance of Section 3(3) of Official Languages Act, 1963(As amended, 1967) is found in future, it will be viewed seriously and action as deemed fit will be taken against the concerned officer.

उक्त अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करवाने की दृष्टि से निम्नलिखित जाँच बिंदु बनाए जाते हैं जो संबंधित अधिकारी के लिए सहायक सिद्ध होंगे :

With a view to ensure the compliance of the said Act, following check-points are made which will be helpful to the officers signing such documents:

जाँच बिंदु Check-point-1 :

ऐसे दस्तावेजों का मसौदा तैयार करने वाला अधिकारी/कर्मचारी यह ध्यान रखे कि ऐसे दस्तावेज द्विभाषी रूप में तैयार हों।

The Officer/Employee preparing the draft of such documents should take care that such documents are prepared in bilingual.

जाँच बिंदु Check-point-2 :

ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी से संबद्ध आशुलिपिक/वैयक्तिक सहायक/निजी सचिव आदि संबंधित अधिकारी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करेंगे कि वह दस्तावेज द्विभाषी रूप में जारी होना अनिवार्य है।

Stenographers/Personal Assistants/Private Secretaries attached to the Officers signing such documents have to draw the attention of the Officer that it should be issued in bilingual.

......3/-

जाँच बिंदु Check-point-3 :

जावक रजिस्टर में प्रविष्टि करने वाले कर्मचारी ऐसे दस्तावेजों पर जावक क्रमांक देने से पहले तथा प्रेषण का कार्य करने वाले कर्मचारी ऐसे कागज़ात प्रेषित करने से पहले यह सुनिश्चित करेंगे कि वे हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हैं तथा केवल अंग्रेजी में होने की स्थिति में उस पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का ध्यान उस ओर आकृष्ट करेंगे।

The employee making entries in the outward register and doing despatch work should ensure before giving outward number/before despatching that such documents are in both the languages-Hindi and English. If it is found that it is in English only then he/she should draw the attention of the officer signing the document.

विश्वविद्यालय के सभी अधिकारियों/शिक्षकों से अनुरोध है कि वे इस परिपत्र की विषय-वस्तु से अपने अधीन कार्यरत स्टाफ को अवगत कराएं तथा इसका अनुपालन सुनिश्चित करें ।

All the Officers/Teachers of the University are requested that contents of this circular may be brought to the notice of the staff working under them and ensure compliance.

संलग्नक Encl.: यथोपरि As above

अरुणा शर्मा

कुलसचिव Registrar

का. प्र.

प्रति To:

सभी विभाग/कार्यालय/अनुभाग प्रमुख

All Department/Office/Section Heads

प्रतिलिपि Copy to :

1. अधिष्ठाता, महाविद्यालय एवं अध्यक्ष, रा.भ.का.स. - कृपया सूचनार्थ
2. निदेशक, कंप्यूटर केंद्र - अनुरोध है कि कृपया इसे वेबसाइट(इंटरानेट) पर अपलोड करें।